वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

संख्या-06/नौ-5-2023-76सा0/2022

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त, लखनऊ/ वाराणसी/आगरा/मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, लखनऊ/ वाराणसी/आगरा/गौतमबुद्धनगर ।
(3) नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ वाराणसी/आगरा ।
(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, नोएडा।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 06 जनवरी, 2023

विषयः- भारत की अध्यक्षता में होने वाले जी-20 सम्मेलन के प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु "RUN FOR G20" के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जी-20 सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 03.11.2023 के मध्य की जानी है। उक्त सम्मेलन के अन्तर्गत भारत राष्ट्र की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों में कुल 11 बैठकों का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में होना प्रस्तावित है।

2- उक्त के क्रम में जी-20 की बैठकों हेतु चयनित जनपदों में जी-20 सम्मेलन के प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 21.01.2023 को "RUN FOR G20" का आयोजन किया जाना है, जिसमें निम्न कार्यवाही की जायेः-

(1) आयोजन का मुख्य उद्देश्य जी-20 आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता फैलाना एवं इस कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित करना है।
(2) जी-20 आयोजन नगर के एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर भी आयोजित किया जा सकता है।
(3) आयोजन अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग दूरी का किया जा सकता है, यथा-महिला, पुरूष, छात्र, व्यवसायी, मीडिया इत्यादि एवं 1000 मी0, 2000 मी0, अथवा अधिक दूरी की। मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिभागिता होनी चाहिए।
(4) उक्त कार्यक्रम एक या अधिक व्यक्तियों/कम्पनियों की स्पांसरशिप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
(5) कार्यक्रम में प्रतिभागियों को टी-शर्ट, कैप इत्यादि, जिस पर जी-20 एवं स्वच्छ यू0पी0 का लोगो/चिन्ह अंकित हो, के साथ-साथ प्रशासन के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रदान किया जाये।
(6) कार्यक्रम में सुरक्षा, मार्ग-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था इत्यादि का पूर्व आकलन कर लिया जाये तथा त्रुटिरहित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तथा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) कार्यक्रम में मेडिकल व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि का पूर्व से आकलन कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(8) कार्यक्रम को भारत अभियाान से जोड़ते हुये साफ-सफाई तथा सुन्दरीकरण के अभियाान चलाये जाये। कार्यक्रम उपरान्त साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाये।

(9) कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। इसके लिए समुचित व्यवस्था किया जाये।

(10) कार्यक्रम स्थल तथा दौड़ के मार्ग पर पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों की जोन/सेक्टर में बॉट कर पर्याप्त तथा समुचित ड्यूटी लगाई जाये।

(11) कार्यक्रम में यथा स्थान जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों को भी समुचित आदर देते हुये आमंत्रण देकर कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया जाये।

(12) उक्त आयोजन पर आने वाला व्यय-भार स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के आई0ई0सी0 मद से यथावश्यकता एवं नियमानुसार वहन किया जायेगा एवं प्रत्येक शहर हेतु उसकी अधिकतम सीमा रू0 3.00 लाख हो सकेगी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये उक्त आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसहभागिता के माध्यम से अपने स्तर पर दिनांक 21.01.2023 को "RUN FOR G20" का आयोजन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

प्रस्ताव मित्र G-20